झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

निगम कार्यालय : अभियंत्रण भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची-4

Dum (P)

का0आ0सं0 105
संचिका संख्या – III/Alleg.Cell/JBVNL-2970/2019

दिनांक 09/02/2024

चूँकि, श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, खूँटी की सेवापुस्ति का वेतन पंजी से सेवा सत्यापन एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री कुमार दिनांक 01.10.2011 से 27.03.2016 तक की कई अवधियों में अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे।

और चूँकि, श्री राकेश रौशन, तदेन संयुक्त सचिव–III, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का ज्ञापांक 4830 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक को दिनांक 27.08.2012 से 03.09.2012 तक अपने कार्य से बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने के मामले में उन्हें चेतावनी दी गयी कि भविष्य में अपने कार्य के प्रति सचेत रहें। इसकी पुनरावृति होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

और चूँकि, श्री बी० के० राय, तदेन अवर सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का ज्ञापांक 4511 दिनांक 06.08.2013 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 29.06.2013 से 15.07.2013 तक अनधिकृत रुप से अनुपस्थिति के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण पर उनके द्वारा समर्पित जवाब के आलोक में उन्हें कड़ी चेतावनी दी गयी कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न की जाय अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

और चूँकि, श्री बी० एम० सरकार, तदेन संयुक्त सचिव–III, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का ज्ञाप संख्या 6977 दिनांक 15.11.2013 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 04.11.2013 से 15.11.2013 तक लगातार अनधिकृत रुप से अनुपस्थिति के मामले में निदेश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करें एवं स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में वे अपने कार्य से अब तक अनुपस्थित हैं, अन्यथा यथा नियम उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

और चूँकि, श्री बी० एम० सरकार, तदेन संयुक्त सचिव–III, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का ज्ञापांक 1031 दिनांक 22.03.2014 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 12.03.2014 से लगातार अनधिकृत रुप से अनुपस्थिति के मामले में निदेश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के उपरान्त अविलम्ब अपना कार्यभार ग्रहण करें एवं स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में वे अपने कार्य से अब तक अनुपस्थित हैं, अन्यथा यथा नियम उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

और चूँकि, श्री बी० एम० सरकार, तदेन संयुक्त सचिव–III, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का ज्ञापांक 2200 दिनांक 07.07.2014 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 25.05.2014 से 13.06.2014 तक, 20.06.2014 से 23.06.2014 तक एवं दिनांक 25.06.2014 से 07.07.2014 तक अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में निदेश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान समर्पित करें एवं स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में भिन्न–भिन्न अवधियों में वे अपने कार्य से अब तक अनुपस्थित होते रहें हैं। उनका स्पष्टीकरण ससमय प्राप्त नही होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नही कहना है, तदनुसार संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के नियम के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में संयुक्त सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पत्रांक 2690 दिनांक 29.08.2014 के द्वारा भी श्री अनिल कुमार के विरुद्ध यथा नियम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

और चूँकि, श्री प्रवीण कुमार, तदेन संयुक्त सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गैर सरकारी प्रेषण संख्या 162, दिनांक 19.11.2014 के द्वारा उप महाप्रबन्धक (कार्मिक), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को सूचित किया गया कि श्री कुमार दिनांक 15.10.2014 से बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित हैं। श्री कुमार के पूर्व में भी भिन्न–भिन्न समय में अनधिकृत

महाप्रबंधक (आ०टी०) प्रकोष्ठ, झा०बि०वि०नि०लि०, राँची
नि० सं० 207
दिनांक 13/02

(76) D:\From 26.09.2019 onwards\Surendra Kumar\Office Order\office order.docx

अनुपस्थित होने की सूचना देने के साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

और चूँकि, श्री चन्द्रशेखर आजाद, तदेन उप महाप्रबन्धक (कार्मिक), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का ज्ञापांक 16 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 15.10.2014 से 13.11.2014 तक बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के मामले में उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए निर्देश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर अनधिकृत अनुपस्थिति पर अपना जवाब अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

और चूँकि, श्री चन्द्रशेखर आजाद, तदेन उप महाप्रबन्धक (कार्मिक), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का ज्ञापांक 282 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा श्री को दिनांक 15.10.2014 से 13.11.2014 तक बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के मामले में उनसे पुनः स्पष्टीकरण पूछते हुए निर्देश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर अनधिकृत अनुपस्थिति पर अपना जवाब अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने दिनांक 16.03.2015 को समर्पित किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि तेज बुखार एवं अचेत हो जाने के कारण वे कार्य स्थल पर उपस्थित नही हो सके और कार्यालय को सूचना समय पर नही दे सके। श्री कुमार के समर्पित जवाब पर उनके नियंत्री पदाधिकारी श्री बी० के० राय, तदेन अवर सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने उल्लेख किया कि श्री अनिल कुमार पूर्व में भी अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहें हैं और इनका कार्य आचरण संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के प्रतिकूल है, श्री कुमार को कड़ी चेतावनी के साथ–साथ आगे की कार्रवाई करना श्रेयस्कर होगा।

और चूँकि, श्री कुमार के आदतन अनाधिकृत रुप से भिन्न–भिन्न अवधियों में लगातार अनुपस्थित रहने का मामला निगम के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका 29 (बी) के तहत् Habitual Absence को घोर कदाचार का द्योतक माना गया। श्री कुमार के उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में निगम का पत्रांक 371 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया एवं निर्देश दिया गया था कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर इसका जवाब समर्पित करें, परन्तु श्री कुमार ने उक्त स्पष्टीकरण का जवाब 114 दिनों के उपरान्त दिनांक 06.06.2019 को बिना पर्याप्त साक्ष्य/अभिलेख के समर्पित किया, जो पूर्णतः असंतोषप्रद पाया गया। श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब विलम्ब से समर्पित किया जाना उनके स्वेच्छाचारिता/अनुशासनहीनता को स्वतः प्रमाणित करता है।

और चूँकि, श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमंण्डल, खूँटी के विरुद्ध दिनांक 01.10.2011 से 27.03.2016 तक कई अवधियों में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहैने के मामले में निगम के कार्यालय आदेश संख्या–1583 दिनांक–23.10.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर सलाहकार (मा0सं0)–सह–जाँच पदाधिकारी के गै०स०प्रे०सं०–210, दिनांक–27.10.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को समर्पित की गयी।

और चूँकि, श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय जाँच पूर्ण रूपेण अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है तथा विभागीय जाँच में जाँच पदाधिकारी ने दिनांक 01.10.2011 से 27.03.2016 तक की विभिन्न अवधियों में श्री कुमार के अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति माना है एवं आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोप को प्रमाणित पाया।

और चूँकि, श्री कुमार दिनांक 01.10.2011 से 27.03.2016 तक निगम मुख्यालय, राँची में विभिन्न पदस्थापन अवधियों में कुल 466 (चार सौ छियासठ) दिन अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे हैं, इस संबंध में श्री कुमार के तदेन नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरंतर सूचना दी जाती रही और कई बार चेतावनी भी दी गयी। श्री कुमार के वर्तमान नियंत्री पदाधिकारी से उनके कार्यआचरण प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें श्री कुमार के संबंध में Positive Response देते हुए उनका वर्तमान कार्यआचरण को संतोषजनक बताया है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार के उक्त अनधिकृत रूप से

अनुपस्थित रहने के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। श्री कुमार का यह कृत्य निगम के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के कंडिका **29 'B' (e)** के तहत **कदाचार की श्रेणी** में आता है।

तदनुसार जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल खूँटी को निगम के कार्यालय आदेश संख्या–1110, दिनांक–13.11.2023 के द्वारा निम्न प्रस्तावित दण्ड हेतु **द्वितीय कारण पृच्छा** की गयी–

(क) अनधिकृत अनुपस्थित अवधियों को असाधारण अवकाश में स्वीकृत कर सेवा नियमिती,

(ख) तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक,

(ग) भविष्य में इस तरह के आरोप की पुनरावृत्ति होने पर सेवा से विमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ।

और चूंकि, उपरोक्त के आलोक में श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल खूँटी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित की गयी जिसमें उनके द्वारा अपने ऊपर प्रतिवेदित सभी आरोपों को स्वीकार किया गया।

और चूंकि, श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब की कार्यालय स्तर से समीक्षा की गयी। समर्पित जवाब में उनके द्वारा बचाव पक्ष में अपने अनुपस्थिति के संबंध में कोई ठोस कारण/तथ्य समर्पित नहीं किया गया जिससे कि उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड के स्वरूप को बदला जा सके।

और चूंकि, मामले में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित तथ्य, श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब एवं रक्षित अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरांत निगम के कार्यालय आदेश संख्या–1110, दिनांक–13.11.2023 के द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को यथावत सम्पूष्ट करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल खूँटी को निम्न दण्ड दिया जाता है–

(क) अनधिकृत अनुपस्थित अवधियों को असाधारण अवकाश में स्वीकृत कर सेवा नियमिती होगी,

(ख) तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक,

(ग) भविष्य में इस तरह के आरोप की पुनरावृत्ति होने पर सेवा से विमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति श्री अनिल कुमार, तदेन संदेशवाहक, निगम मुख्यालय, राँची सम्प्रति विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल खूँटी को प्रेषित किया जाए।

ह०/–
(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक ..... दिनांक .....

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार, संदेशवाहक, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक (तक०), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, राँची/उपमहाप्रबंधक (तक०), विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची/ वरीय प्रबंधक (तक०), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति अपने स्तर से भी श्री कुमार को हस्तगत कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

ज्ञापांक 253 / निगम मुख्यालय, राँची दिनांक 09/02/2024

प्रतिलिपिः– सभी कार्यकारी निदेशक/ महाप्रबंधक (आई०टी०)/आवासीय अभियन्ता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी महाप्रबंधक (तक०), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ सभी उप महाप्रबंधक (तक०), विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी उप महाप्रबंधक (कार्मिक/मा०सं०)/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक/ मा०सं०)/ सभी प्रबंधक (कार्मिक/ मा०सं०)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ प्रबंधक, ERP, CTM (HR Module)/ सभी कनीय प्रबंधक (कार्मिक/ मा०सं०)/ वरीय प्रबंधक (मा०सं०), प्रशाखा–II, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/2/24
(अभिषेक कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)